भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1157

जिसका उत्तर 11 दिसम्बर, 2023/20 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने का लक्ष्य

1157. श्री कुलदीप राय शर्मा: डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री आर.के.सिंह पटेल: डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.: श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में डिजिटल भुगतान लेन-देन को बढ़ावा देने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ख) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान डिजिटल भुगतान लेन-देन की संख्या में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई है;

(ग) क्या डिजिटल निरक्षरता के कारण लोगों में ऑनलाइन लेन-देन, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और अन्य इंटरनेट आधारित संचार का उपयोग करने की चिंता बढ़ रही है और क्या सरकार ने डिजिटल लेन-देन के संबंध में अन्य देशों के साथ कोई तुलनात्मक अध्ययन किया है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(घ) सरकार द्वारा डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ड) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान रिपोर्ट किए गए साइबर अपराधों का ब्यौरा क्या है और उक्त अपराधों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) क्या सरकार ने देश में वर्तमान में संचालित किए जा रहे विभिन्न डिजिटल ट्रांजेक्शन प्लेटफार्मों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं और इंटरनेट पर लेन-देन को विनियमित करने के लिए कड़े साइबर कानूनों के साथ साइबर अपराध की घटनाओं से निपटने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (घ): सभी हितदारों के साथ भारत सरकार के समन्वित प्रयासों के कारण हाल के वर्षों में डिजिटल भुगतानों में काफी वृद्धि हुई है। डिजिटल भुगतान लेनदेनों की कुल संख्या जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2,071 करोड़ थी वित्तीय वर्ष 2022-23 में 45% के सीएजीआर के साथ बढ़कर

13,462 करोड़ हो गई और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 27.11.2023 तक 10,998 करोड़ को पार कर गई है। विगत तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान डिजिटल भुगतान लेनदेनों की संख्या में हुई प्रगति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**लक्ष्य (करोड़ में)**	**उपलब्धि (करोड़ में)**	**मूल्य (लाख करोड़ रुपए में)**
2020-21	5,500	5,554	3,000
2021-22	6,000	8,839	3,021
2022-23	13,233	13,462	3,355
2023-24 (27 नवंबर, 2023 तक)	18,000	10,998	2,290

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और डिजिधन पोर्टल

सरकार द्वारा डिजिटल लेनदेनों को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल में, अन्य बातों के साथ-साथ, (i) रुपे डेबिट कार्ड और कम-मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेनों (पी2एम) को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन योजना, (ii) भारत सरकार द्वारा विभिन्न हितधारकों को भुगतान स्वीकृति अवसंरचना में सुधार करने की सलाह, (iii) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों को डिजिटल भुगतान लेनदेन और मर्चेंट अधिग्रहण लक्ष्य का वर्ष-वार आबंटन और निगरानी, (iv) ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए) और (v) डिजिटल भुगतान हितधारकों और विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के साथ अन्य संवर्धन कार्यकलाप, शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आरबीआई भी वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन करके, वित्तीय जागरूकता संबंधी संदेश भेज कर और बहु-वैकल्पिक जन जागरूकता मीडिया अभियानों का आयोजन करके डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दे रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय निपटान हेतु बैंकों (बीआईएस) की भुगतान और बाज़ार अवसंरचना संबंधी समिति (सीपीएमआई) ने रेड बुक स्टैटिस्टिक्स प्रकाशित की है जिसे Digital payments make gains but cash remains (bis.org) पर देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, प्रगति का आकलन करके आरबीआई द्वारा वर्ष 2022 के लिए बेंचमार्क निर्धारित करने का कार्य किया गया। इस कार्य ने भुगतान प्रणाली में भारत की प्रगति को प्रमाणित किया जिसमें भारत 40 में से 25 संकेतकों के संबंध में अग्रणी या सुदृढ़ के रूप में वर्गीकृत किया गया। BENCHMARKING INDIA's PAYMENT SYSTEMS (rbi.org.in)।

(ङ) और (च): गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के अंतर्गत आने वाले विषय हैं। मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने एलईए के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी सहित अपराधों के निवारण, पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए उत्तरदायी हैं। केंद्र सरकार क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न

योजनाओं के अंतर्गत सलाह और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए तंत्र को मज़बूत बनाने हेतु सरकार ने साइबर अपराध के बारे में जागरूकता पैदा करने; चेतावनी/सलाह जारी करने; एलईए/अभियोजकों/न्यायिक अधिकारियों का क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण; साइबर फोरेन्सिक सुविधा में सुधार आदि के लिए उपाय किए हैं। सरकार ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए एलईए हेतु एक संरचना और तंत्र उपलब्ध कराने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की स्थापना की है। सरकार ने महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देते हुए सभी प्रकार के साइबर अपराधों के संबंध में जनता द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल (https://cybercrime.gov.in) भी आरंभ किया है।

इसके अलावा, भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (सीईआरटी-आईएन) भी फिशिंग वेबसाइट का पता लगाने और उसे निष्क्रिय करने तथा धोखाधड़ी वाले कार्यकलापों की जांच करने; चेतावनी और सलाह जारी करने के लिए सेवा प्रदाताओं, विनियामकों और एलईए के साथ मिलकर काम कर रही है; और सूचना प्राप्त अलर्ट को सक्रिय रूप से एकत्र करने, विश्लेषण करने और साझा करने के लिए एक स्वचलित साइबर जोखिम एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का परिचालन करता है।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने अनधिकृत/धोखाधड़ी वाले इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में ग्राहक की देयताओं को सीमित करने के संबंध में वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के लिए क्रमशः 6 जुलाई, 2017 और 14 दिसंबर, 2017 के परिपत्रों के माध्यम से अनुदेश जारी किए हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के डिजिटल लेनदेनों में ग्राहक की सीमित देयता निर्धारित करने के संबंध में मानदंड का उल्लेख किया गया है।

*****